

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन भोपाल

क्रमांक/निस्तार/4244

भोपाल दिनांक 20.11.2007

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

विषय:- बसोडो को कच्चे माल के रूप में बांस प्रदाय करने हेतु आवश्यकतानुसार डिपो खोलने के संबंध में ।

संदर्भ:- शिल्पी पंचायत दिनांक 17-9-07 में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा क्रमांक 2944 के संबंध में।

---00---

माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा उक्त संदर्भ में निम्नानुसार घोषणा की है:-

“बसोडो को कच्चे माल के रूप में बांस प्रदाय करने के लिये प्रदेश में आवश्यकतानुसार डिपो खोले जायें । इन डिपो में काष्ठ, शिल्प से संबंधित शिल्पी एवं बढई को वन विभाग से रियायती दर पर एक निश्चित सीमा तक लकड़ी उपलब्ध कराई जायेगी ।”

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुये बसोडों को अधिक बांस प्रदाय करने हेतु आवश्यकतानुसार डिपो खोलने की कार्यवाही की जाये ।

उक्त कार्यवाही में यदि कोई आशंका हो तो इस कार्यालय से दूरभाष पर तत्काल परामर्श लिया जाये ।

सही/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल